

Before,  
The Principal  
PSIT College of Higher Education  
N.H.-2, Bhauti, Kanpur-209305

1. I, \_\_\_\_\_ S/o/D/o \_\_\_\_\_, having been admitted to \_\_\_\_\_, have received a copy (which is also available on the website of institution) of judgment and directions of Hon'ble SUPREME COURT OF INDIA regarding Anti Ragging Guidelines in Educational Institutions (IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION, CIVIL APPEAL NUMBER 887 OF 2009: UNIVERSITY OF KERALA - APPELLANT VERSUS COUNCIL, PRINCIPALS' COLLEGES, KERALA AND ORS - RESPONDENTS) and the UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") and the Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions Act, 2010 (hereinafter called the "Act") and have carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations and Act.
2. I have, in particular, perused various clauses of the regulations and various sections of the Act and I am aware as to what constitutes ragging.
3. I have also, in particular, perused various clauses of the regulations, and Sections 2(d), 5 and 6 of the Act, and I am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I hereby, solemnly aver and undertake that:
  - (a) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under various clauses of the regulations and sections 2 (d) of the Act.
  - (b) I will not participate in or abet or propagate through an act of commission or omission that may be constituted as ragging under various clauses of the regulations and section 2 (d) of the Act.

5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I will be liable for punishment in accordance with various clauses of the regulations and sections 5 and 6 of the Act, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
6. I hereby, declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging: and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, my admission is liable to be cancelled.
7. I hereby, undertake that the foregoing paras shall be operational during my studies in the institute.

Declared this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ month of \_\_\_\_\_ year.

Deponent\_\_\_\_\_

Name :\_\_\_\_\_

Address :\_\_\_\_\_

Tel No./Mob. No.\_\_\_\_\_

#### Verification

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at \_\_\_\_\_ on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ month of \_\_\_\_\_ year.

Deponent\_\_\_\_\_

Solemnly affirmed and signed in my presence on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ month of \_\_\_\_\_ year after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

Before,

The Principal

PSIT College of Higher Education

N.H.-2, Bhauti, Kanpur-209305

1. I, \_\_\_\_\_ S/o/D/o \_\_\_\_\_ and Father /Mother/Guardian of \_\_\_\_\_, who having been admitted to \_\_\_\_\_, have received a copy (which is also available on the website of institution) of judgment and directions of Hon'ble SUPREME COURT OF INDIA regarding Anti Ragging Guidelines in Educational Institutions (IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION, CIVIL APPEAL NUMBER 887 OF 2009: UNIVERSITY OF KERALA - APPELLANT VERSUS COUNCIL, PRINCIPALS' COLLEGES, KERALA AND ORS - RESPONDENTS) and the UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") and the Uttar Pradesh Prohibition of Ragging in Educational Institutions Act, 2010 (hereinafter called the "Act") and have carefully read and fully understood the provisions contained in the said Notification, Regulations and Act.
2. I have, in particular, perused various clauses of the regulations and various sections of the Act and am aware as to what constitutes ragging.
3. I have also, in particular, perused various clauses of the regulations, and Sections 2(d), 5 and 6 of the Act, and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to have taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4. I hereby, solemnly aver and undertake that :
  - (a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under various clauses of the regulations and sections 2 (d) of the Act.
  - (b) My ward will not participate in or abet or propagate through an act of commission or omission that may be constituted as ragging under various clauses of the regulations and section 2 (d) of the Act.

5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment in accordance with various clauses of the regulations and sections 5 and 6 of the Act, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.
6. I hereby, declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging: and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.
7. I hereby, undertake that the foregoing paras shall be operational during the studies of my ward in the institute.

Declared this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ month of \_\_\_\_\_ year.

Deponent\_\_\_\_\_

Name :\_\_\_\_\_

Address :\_\_\_\_\_

Tel No./Mob. No.\_\_\_\_\_

#### Verification

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at \_\_\_\_\_ on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ month of \_\_\_\_\_ year.

Deponent\_\_\_\_\_

Solemnly affirmed and signed in my presence on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ month of \_\_\_\_\_ year after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

समक्षा : श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय  
पीएसआईटी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन  
एन०एच०-२ (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-२)  
भौती, कानपुर-२०९३०५

ईंगिंग के विरुद्ध शपथपत्र

शपथपत्र द्वारा वयस्क पुत्र/पुत्री ..... निवासी .....  
शपथकर्ता/शपथकर्ती

मैं उपरोक्त शपथकर्ता/शपथकर्ती /शपथपूर्वक निम्नलिखित अभिकथन करता/करती हूँ :

- 1- यह कि मुझे, उपरोक्त शपथकर्ता को ..... में प्रवेश प्रदान कर दिया गया है। मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा शिक्षण संस्थानों में ईंगिंग को रोकने व निषेध करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों (IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION, CIVIL APPEAL NUMBER 887 OF 2009 : UNIVERSITY OF KERALA - APPELLANT VERSUS COUNCIL, PRINCIPALS" COLLEGES, KERALA AND ORS - RESPONDENTS) जो कि संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं तथा यू०जी०सी० (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सभी प्रकार की ईंगिंग रोकने, निषेध करने सम्बन्धी विनियम 2009 (जो कि आगे विनियम कहा जायेगा) की प्रतियाँ प्राप्त कर ली हैं तथा उन्हें सर्तकतापूर्वक, सावधानीपूर्वक भली-भाँति पढ़ लिया है तथा इन अधिसूचनाओं, विनियमों तथा अधिनियमों के समस्त प्रावधान पूर्णतया भली-भाँति समझ लिया है।

- 2- मैंने विशेष रूप से विनियम के अनुच्छेद/धारा तथा अधिनियम के विभिन्न अनुच्छेद व धराएं ध्यान से भली-भाँति पढ़ लिए हैं एवं मैं रैगिंग की व्यापक परिभाषा से भली-भाँति अवगत हूँ।
- 3- इसके साथ ही मैंने विशेष रूप से विनियम की धाराएं/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 2 (डी) 5 तथा 6 भली-भाँति ध्यानपूर्वक, सर्तकतापूर्वक व सावधानीपूर्वक पढ़ लिए हैं तथा यदि मैं प्रत्यक्षा या अप्रत्यक्षा रूप से रैगिंग करने या रैगिंग उकसाने, भड़काने, बढ़ावा देने, सहयोग देने, दुष्प्रेरित करने या रैगिंग के दुष्प्रचार करने, बढ़ावा देने, सहायता करने के बड़यन्त्र में दोषी पाया जाता/पायी जाती हूँ तो मेरे विरुद्ध जो दण्डात्मक व प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी तथा जिसका मैं भागी/अधीन हूँगा/हूँगी, उससे मैं भली-भाँति पूर्णतया अवगत हूँ।
- 4- मैं एतद्वारा दृढ़तापूर्वक, निश्चयपूर्वक कहते हुए स्वयं को वचनवद्ध करता हूँ कि :
- (अ) मैं अपने किसी आचरण या कृत्य द्वारा ऐसे किसी कार्य में कर्तव्य लिप्त नहीं हूँगा/हूँगी जो कि विनियम की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 2 (डी) 5 तथा 6 के अन्तर्गत रैगिंग का गठन करता हो या रैगिंग हो या रैगिंग से किसी भी प्रकार से सम्बंधित हो।
- (ब) मैं अपने किसी आचरण क्रिया, कृत्य, कार्य द्वारा या किसी लोप या चूक द्वारा ऐसे कार्य-कलापों में कर्तव्य भाग नहीं लूँगा/लूँगी या रैगिंग अपराध करने में सहयोग, दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, सहायता, बढ़ावा कर्तव्य नहीं दूँगा/दूँगी या ऐसे प्रचार-प्रसार उत्पन्न, बढ़ाने, फैलाने में भाग कर्तव्य नहीं लूँगा/लूँगी जो कि विनियम की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 2 (डी) के अन्तर्गत रैगिंग का गठन करते हों या रैगिंग के अन्तर्गत आते हो।
- 5- मैं एतद्वारा वचन/प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि यदि मैं रैगिंग करने का दोषी पाया जाता/जाती हूँ तो मैं विनियमों की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 5 तथा 6 के अनुसार दण्ड के अधीन हूँगा/हूँगी तथा मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी अन्य आपराधिक प्रक्रिया /कार्यवाही के अधीन भी हूँगा/हूँगी जो कि दण्ड सम्बन्धी किसी विधि या तत्समय प्रवृत्त/लागू किसी विधि के अनुसार होगा।
- 6- मैं एतद्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि मुझे देश में किसी भी संस्थान के द्वारा, रैगिंग करने का दोषी पाये जाने के कारण या रैगिंग को दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, बढ़ावा देने, सहयोग देने, सहायता करने के कारण या रैगिंग को दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, बढ़ावा देने, सहयोग देने, सहायता करने के बड़यन्त्र में भाग लेने के कारण न तो निष्कासित किया गया/गई हूँ तथा न ही बहिष्कृत किया गया/गई हूँ। साथ ही, मैं यह भी वचन/प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि यदि यह उद्घोषणा/घोषणापत्र असत्य पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त करने के अधीन होगा।

7- मैं एतद्द्वारा वचनबद्ध होता/होती हूँ कि संस्थान में मेरे अध्ययनकाल में, इस शपथपत्र के पूर्ववर्ती पैरा/अनुच्छेद लागू रहेंगे/प्रवृत्त रहेंगे।

दिनांक ..... मास ..... वर्ष ..... में घोषित किया।

शपथकर्ता/शपथकर्ती

नाम : .....

पता : .....

टेलीफोन/मोबाइल नं० : .....

### सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि इस शपथपत्र में दिये गये समस्त तथ्य मेरे ज्ञान में सही हैं । इस शपथपत्र का कोई भी भाग असत्य नहीं है तथा उसमें कोई भी तथ्य छुपाया या गलत बयान नहीं किया गया है।

दिनांक ..... मास ..... वर्ष ..... में सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता/शपथकर्ती

मेरे समक्ष इस शपथपत्र के तथ्यों को पढ़ने के पछात दिनांक ..... मास ..... वर्ष ..... को शपथपूर्वक हस्ताक्षारित एवं अभिकथित किया गया ।

नोटरी/ओथ कमिशनर

समक्ष : श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय

**पीएसआईटी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन**

एन०एच०-२ (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-२)

औंती, कानपुर-209305

ईंगिंग के विरुद्ध शपथपत्र

शपथपत्र द्वारा ..... पुत्र/पुत्री ..... तथा.....  
...के माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक, निवासी ..... शपथकर्ता/शपथकर्ती

मैं उपरोक्त शपथकर्ता/शपथकर्ती /शपथपूर्वक निम्नलिखित अभिकथन करता/करती हूँ :

- 1- यह कि मुझे, उपरोक्त शपथकर्ता/शपथकर्ती के पुत्र/पुत्री को ..... में प्रवेश प्रदान कर दिया गया है। मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा शिक्षण संस्थानों में ईंगिंग को रोकने व निषेध करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों (IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION, CIVIL APPEAL NUMBER 887 OF 2009 : UNIVERSITY OF KERALA - APPELLANT VERSUS COUNCIL, PRINCIPALS" COLLEGES, KERALA AND ORS - RESPONDENTS) जो कि संस्थान की वेबसाइट पर भी उल्लब्ध हैं तथा यू०जी०सी० (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सभी प्रकार की ईंगिंग रोकने, निषेध करने सम्बन्धी विनियम 2009 (जो कि आगे विनियम कहा जायेगा) तथा उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में ईंगिंग का प्रतिशेष अधिनियम 2010 (जो कि आगे अधिनियम कहा जायेगा) की प्रतियोग प्राप्त कर ली है तथा उन्हें सरकातापूर्वक, सावधानीपूर्वक भली-भाँति पढ़ लिया है तथा इन अधिसूचनाओं, विनियमों तथा अधिनियमों के समर्त प्रावधान पूर्णतया भली-भाँति समझ लिये हैं।

- 2- मैंने विशेष रूप से विनियम के अनुच्छेद/धारा तथा अधिनियम के विभिन्न अनुच्छेद व धराएं ध्यान से भली-भाँति पढ़ लिए हैं एवं मैं ईगिंग की व्यापक परिभाषा से भली-भाँति अवगत हूँ।
- 3- इसके साथ ही मैंने विशेष रूप से विनियम की धाराएं/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 2 (डी), 5 तथा 6 भली-भाँति ध्यानपूर्वक, सर्तकतापूर्वक व सावधानीपूर्वक पढ़ लिए हैं तथा यदि मेरी संरक्षाता में जो छात्र/छात्रा है (जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है) यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईगिंग करने या ईगिंग उकसाने, भड़काने, बढ़ावा देने, सहयोग देने, दुष्प्रेरित करने या ईगिंग के दुष्प्रचार करने, बढ़ावा देने, सहायता करने के बड़यन्त्र में दोषी पाया जाता/पायी जाती है तो उसके विरुद्ध जो दण्डात्मक व प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी तथा जिसका वह भागी/अधीन होगा/होगी, उससे मैं भली-भाँति पूर्णतया अवगत हूँ।
- 4- मैं एतद्द्वारा दृढ़तापूर्वक, निश्चयपूर्वक कहते हुए स्वयं को वचनवद्ध करता हूँ कि :
- (अ) मेरी संरक्षाता में जो छात्र/छात्रा है (जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है) वह अपने किसी आचरण या कृत्य द्वारा ऐसे किसी कार्य में कर्तव्य लिप्त नहीं होगा जो कि विनियम की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 2 (डी) 5 तथा 6 के अन्तर्गत ईगिंग का गठन करता हो या ईगिंग हो या ईगिंग से किसी भी प्रकार से सम्बंधित हो।
- (ब) मेरी संरक्षाता में जो छात्र/छात्रा है (जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है) वह अपने किसी आचरण किया, कृत्य, कार्य द्वारा या किसी लोप या चूक द्वारा ऐसे कार्य कलापों में कर्तव्य भाग नहीं लेगा/लेगी या ईगिंग अपराध करने में सहयोग, दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, सहायता, बढ़ावा कर्तव्य नहीं देगा/देगी या ऐसे प्रचार-प्रसार उत्पन्न, बढ़ाने, फैलाने में भाग कर्तव्य नहीं लेगा/लेगी जो कि विनियम की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 2 (डी) के अन्तर्गत ईगिंग का गठन करते हों या ईगिंग के अन्तर्गत आते हों।
- 5- मैं एतद्द्वारा वचन/प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि यदि मेरी संरक्षाता में जो छात्र/छात्रा है (जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है) वह ईगिंग करने का दोषी पाया जाता/जाती है तो वह विनियमों की धारा/अनुच्छेद तथा अधिनियम की धारा/अनुच्छेद 5 तथा 6 के अनुसार दण्ड के अधीन होगा/होगी तथा बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी अन्य आपराधिक प्रक्रिया /कार्यवाही के अधीन भी होगा/होगी जो कि दण्ड सम्बन्धी किसी विधि या तत्समय प्रवृत्त/लागू किसी विधि के अनुसार होगा।
- 6- मैं एतद्द्वारा यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरी संरक्षाता में जो छात्र/छात्रा है (जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है) वह देश में किसी भी संरक्षण के द्वारा, ईगिंग करने का दोषी पाये जाने के कारण या ईगिंग को दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, बढ़ावा देने, सहयोग देने, सहायता करने के कारण या ईगिंग को दुष्प्रेरित, अवप्रेरित, बढ़ावा देने, सहयोग देने, सहायता करने के बड़यन्त्र में भाग लेने के कारण न तो निष्कासित किया गया/गयी है तथा न ही बहिष्कृत किया गया/गयी है। साथ ही, मैं यह भी वचन/प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि यदि यह उद्घोषणा/घोषणापत्र असत्य पाया जाता है तो मेरी संरक्षाता में जो छात्र/छात्रा है (जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है) उसका प्रवेश निरस्त करने के अधीन होगा।

7- मैं एतद्द्वारा वचनबद्ध होता/होती हूँ कि मेरी संरक्षाता में जो छात्र/छात्रा है (जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है) संस्थान में उसके अध्ययन काल में, इस शपथपत्र के पूर्ववर्ती पैरा/अनुच्छेद, लागू रहेंगे/प्रवृत्त रहेंगे।

दिनांक ..... मास ..... वर्ष ..... में घोषित किया।

शपथकर्ता/शपथकर्ती

टेलीफोन/मोबाइल नं० : .....

### सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि इस शपथपत्र में दिये गये समस्त तथ्य मेरे ज्ञान में सही हैं । इस शपथपत्र का कोई भी भाग असत्य नहीं है तथा उसमें कोई भी तथ्य छुपाया या गलत बयान नहीं किया गया है।

दिनांक ..... मास ..... वर्ष ..... में सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता/शपथकर्ती

मेरे समक्ष इस शपथपत्र के तथ्यों को पढ़ने के पश्चात दिनांक ..... मास ..... वर्ष ..... को शपथपूर्वक हस्ताक्षरित एवं अभिकथित किया गया ।

नोटरी/ओथ कमिश्नर